राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	भगवती देवी / कालूराम 353/2021 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/12/21	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात खसरा नम्बर 829/192 रकबा 0.2000 हैक्टयर ग्राम बोबाड़ी तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर में स्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज है जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है। प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज काश्त है वर्तमान में पशुओ के लिए बाजरा उगा रखा है एवं उसमे अपने निवास के लिए पक्का मकान व दुकाने तथा पशुपालन के लिए बाड़े इत्यादि बना रखे है पिछले कुछ दिनों से अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे है और निर्माण कार्य करने की धमकियां दे रहे है तथा उक्त भूमि पर लगे सीमेन्ट के पिलरो को तोड़कर जबरन कब्जा करने पर उतारू है और प्रार्थी को जान से मारने की धमकियां दे रहे है एवं कुछ दिन पूर्व जब प्रार्थी अपनी फसल काटने लगा तो प्रार्थी को फसल काटने से मना कर दिया और उक्त भूमि पर ट्रोलियो से मिट्टी डाल दी। अप्रार्थी द्वारा झूठे कथनों के आधार पर न्यायालय हाजा से उनवानी भगवती देवी बनाम कालूराम प्रकरण में प्रार्थी के विरुद्द स्टे प्राप्त कर रखा है मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति का आदेश प्राप्त कर लिया है जिसकी आड़ में प्रार्थी की रिकॉर्डेड खातेदारी भूमि में दखल उत्पन्न कर रहे है जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नही है, उक्त प्रकरण में अपनी जवाबदेही के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए, कथन वर्णित किया जाना सुसंगत है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण के उक्त कृत्यों से रोकने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी का प्रकरण प्रथमदृष्टया सुदृढ़ है, सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया गया तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित हो सकती है। अंत में अनुतोष चाहा कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण को वाद के अंतिम निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि ग्राम बोबाड़ी तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 829/192 रकबा 0.2000 हैक्टयर में प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी उत्पन्न नही करे, प्रार्थी की काश्त व बाजोत में बाधा उत्पन्न नही करे, ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट इत्यादि से करावे। तत्तपश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस सुनकर, बाद बहस मनन दिनांक 23/07/2021 को निर्णय पारित कर, अप्रार्थीगण को आगामी आदेश तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	भगवती देवी / कानूराम 353/2021 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपील दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर, तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई | अभिभाषक पक्षकारान की बहस सुनी गई | दौराने बहस अभिभाषक अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा नम्बर 829/192 में अपने हिस्से बाबत घोषणा का वाद प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में रेस्पोडेन्ट को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया हुआ है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने ही आदेश के विपरीत उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से विधि विरुद्द पाबंद किया है | खसरा नम्बर 829/192 में जो फसल बोई हुई है वह अपीलान्ट की है | अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की फसल को काटने से, अपीलान्ट को ही रोका है जो अधीनस्थ न्यायालय के पूर्व में पारित आदेश के विपरीत है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों पर विचार किये बिना ही जल्दबाजी में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो न्यायोचित नही है | अत: अपील अपीलार्थी स्वीकार कर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23/07/2021 ख़ारिज किया जावे | अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अभिभाषक अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र विचाराधीन है जिसमे आराजीयात बाबत निर्णय होना अभी शेष है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के पक्ष में साबित मानकर, अपीलान्ट को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट वर्णित किया गया है कि यदि आदेश से कोई आपत्ति हो न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे | अपीलान्ट को यदि अपीलाधीन आदेश से कोई आपत्ति थी तो अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करनी चाहिये थी | प्रकरण के इस स्तर पर अपीलान्ट की अपील विचारणीय नही है | अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा का अमूल्य समय व्यर्थ करने के उद्देश्य से आधारहीन तथ्यों का समावेश करते हुए अपील प्रस्तुत की है | अत: अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जावे |

अभिभाषक अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट की बहस पर मनन किया गया | अपील मीमो तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया | अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आगामी आदेश तक पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 23/07/2021 के विरुद्द प्रस्तुत की गयी है | इस सन्दर्भ में अपीलाधीन अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कैवियट प्रार्थना पत्र एवं आदेश जैर अपील के अवलोकन से यह

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

भगवतीदेवी / मालूराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
353/2021	3	

स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी संख्या 2 जो इस अपील में अपीलार्थी संख्या 1 भगवती देवी है के द्वारा कैवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसकी तामिल होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 (कैवियटकर्ता) की बहस सुनकर अन्तरिम आदेश जैर अपील पारित किया गया है जिसका निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होना अभी शेष है एवं चूँकी इस न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समस्त अप्रार्थीगण द्वारा ईकजाई रूप से यह अपील प्रस्तुत की गयी है एवं चूँकी इस न्यायालय के समक्ष अब दोनों पक्ष अर्थात प्रकरण के समस्त पक्षकार उपस्थित आ गये है ऐसेमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश जैर अपील दिनांक 23/07/2021 में कोई हस्तक्षेप नही करते हुये प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर पक्षकारान की समुचित सुनवाई कर व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3(क) की पालना करते हुये एक माह में प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर करे | पक्षकारान को जरिये अभिभाषकगण पाबंद किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30/12/2021 को उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करे एवं प्रार्थना पत्र के निस्तारण में सहयोग करे | तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो |

आज दिनांक 10/12/2021 को आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर